दिनांक 9-10-19 को पेश हो

रीडर

9/10/19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप0/ बहस वकील उभय पक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2065-68 वाले ग्राम कुआगांव तहसील बामनवास के अनुसार विवादित भूमि आ ख.न. 325, 582 584, 585, 586, 587, 588, 593, 635, 636, 637 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, कुल किता 19 रकबा 8.050 हैक्टर सायल/गैर सायल की सह खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका मूल दावा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। अतः मूल दावे के निस्तारण तक उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय उचित है।

अतः मूल दावे के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया

जाता है कि ग्राम कुआंगांव तहसील बामनवास की विवादित भूमि आ.ख.नं. 325, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 593, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649 कुल किता 19 का रकबा 8.050 हेक्टर के उपयोग उपभोग करने जोतने काटने में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। तथा रहन बय, हस्तान्तरण आदि नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। तथा मूल दावे की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 9-10-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.11.21 14:29:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: